CASE STUDY- 03

मान लीजिए कि आप ऐसी कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) हैं, जो एक सरकारी विभाग के द्वारा प्रयुक्त विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। आपने विभाग को उपस्कर की पूर्ति के लिए अपनी बोली पेश कर दी है। आपके ऑफर की गुणता और लागत दोनों आपके प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है। इस पर भी सम्बन्धित अधिकारी टेंडर पास करने के लिए मोटी रिश्वत की मांग कर रहा है। ऑर्डर की प्राप्ति आपके और आपकी कम्पनी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑर्डर न मिलने का अर्थ होगा उत्पादन रेखा का बन्द कर देना। यह आपके स्वयं के कैरियर को भी प्रभावित कर सकता है। फिर भी, मूल्य-सचेत व्यक्ति के रूप में आप रिश्वत देना नहीं चाहते हैं।

रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त कर लेने, तथा रिश्वत देने से इनकार करने और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने - दोनों के लिए वैध तर्क दिए जा सकते हैं। ये तर्क क्या हो सकते हैं? क्या इस धर्मसंकट से बाहर निकलने का कोई बेहतर रास्ता हो सकता है? यदि हाँ, तो इस तीसरे रास्ते की अच्छाइयों की ओर इंगित करते हुए उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, IAS-2014, 20 अंक)

Suppose you are the CEO of a company that manufactures specialized electronic equipment used by a government department. You have submitted your bid for the supply of this equipment to the department. Both the quality and cost of your offer are better than those of the competitors. Yet the concerned officer is demanding a hefty bribe for approving the tender Getting the order is important both for you and your company. Not getting the order would mean closing a production line. It may also affect your own career. However, as a value-conscious person, You do not want to give bribe. Valid arguments can be advanced both for giving the bribe and getting the order, and for refusing to pay the bribe and risking the loss of the order. What those arguments could be, Could there be any better way to get out of this dilemma? If so, outline the main elements of this third way, pointing out its merits.

(Answer in 250 words, IAS 2014, 20 Marks)

उत्तर :

उपरोक्त मामले (केस) का संबंध निम्नलिखित मुद्दों से है-

1. निजी-सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का मुद्दा
2. पद एवं अधिकार के दुरूपयोग एवं कर्त्तव्य की अवहेलना
3. सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को वरीयता
4. व्यक्तिगत हित, संस्था का हित एवं सार्वजनिक हित में संघर्ष
5. सत्यनिष्ठा का मुद्दा

KGS : 5th Floor, A13A, Graphix 1 Tower B, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh-201309
Ph. No. : 8757354880

6. सरकारी ठेकों में पारदर्शिता

7. भ्रष्टाचार

केस के समाधान का प्रथम रास्ता है - रिश्वत देकर ऑर्डर प्राप्त कर लेना।

संबंधित तर्क - i. कम्पनी एवं उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना उचित है।

ii. अगर रिश्वत देकर कोई अन्य कम्पनी कम गुणवत्ता वाला उपकरण सप्लाई करती है तो इससे सार्वजनिक हित पर प्रहार होगा। अतः प्रथम रास्ता स्वीकार्य है।

iii. अपने स्वयं के कैरियर को नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए ऐसा किया जा सकता है।

केस के समाधान का दूसरा रास्ता है - रिश्वत नहीं देना और ऑर्डर को हाथ से निकल जाने देना।

संबंधित तर्क - i. मोटी रिश्वत देने पर या तो उपकरण की लागत बढ़ जायेगी जिससे कम्पनी घाटे में आ सकती है या उपकरण की गुणवत्ता से समझौता करने पर कम्पनी की साख पर असर जा सकता है। अतः दूसरा विकल्प मान्य है।

ii. घूस देने पर 'अंतरात्मा का संकट' पैदा होगा, भविष्य में टेण्डर लेने के लिए बारम्बार रिश्वत देने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। इससे कम्पनी की साख और प्रदर्शन पर अंततः नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अतः दूसरा विकल्प मान्य है।

केस के समाधान का तीसरा संभावित रास्ता - व्हिसल ब्लोअर की मदद ताकि सरकारी विभाग में विद्यमान भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके।

ii. बोली लगाने (bid) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दबाव बनाना।

iii. मोटी रिश्वत की मांग की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों से की जा सकती है ताकि भ्रष्ट आचरण में लिप्त अधिकारी को हतोत्साहित एवं दण्डित किया जा सके।

vi. ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर RTI का सहारा लेना ताकि यह पता चल सके कि आखिर किन आधारों पर और कैसे दूसरी कम्पनी को ऑर्डर दिया गया?

सम्भव है कि इस तीसरे रास्ते को अपनाने पर मेरी ही कम्पनी को ऑर्डर मिल जाए । इससे कम्पनी एवं कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ सरकारी विभाग में भी गुणवत्तापूर्ण उपकरण की सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी।

KGS : 5th Floor, A13A, Graphix 1 Tower B, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh-201309
Ph. No. : 8757354880